



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2017 जिला-इन्दौर

27028-PB277

(16)

राघवेन्द्र पुत्र श्री हेमन्त अग्रवाल,
निवासी-219, टपालघाटी, ग्राम मौरोद,
खण्डवा रोड, इन्दौर (म.प्र.)

-- आवेदक

बनाम

- (1) मध्य प्रदेश शासन द्वारा - कलेक्टर
ऑफ स्टाम्प, इन्दौर क्षेत्र क्रमांक-2
- (2) अशोक कुमार पुत्र श्री नृगनलाल,
परसरामपुरिया तर्फे आ.मु. हेमन्त कुमार
पुत्र श्री श्यामदास जी अग्रवाल, निवासी
7वाँ माला सिल्वर आर्क प्लाजा, 20/1
न्यू पलासिया, इन्दौर (म.प्र.)

-- अनावेदकगण

श्री *राघवेन्द्र अग्रवाल*
द्वारा आज दि 21.2.17 को
समस्त

[Signature]
कलेक्टर ऑफ कोर्ट-2-17
न्यायालय मण्डल, मध्य प्रदेश

[Signature]
21.2.17

न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस जिला इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक
07/बी-103/2011-12/33 में पारित आदेश दिनांक 17.05.2016 के
विरुद्ध मध्य प्रदेश स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 56 के अधीन
पुनरीक्षण।

[Signature]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के नाम
<p><u>7.4.2017</u></p>	<p>आवेदक की ओर से श्री के.के.के. डिविडी आयोगों एवं शासन की ओर से श्री की.एन.त्यागी आयोगों उपस्थित। आवेदक के आयोगों द्वारा प्रकृत सक्षम प्रमाण में प्रस्तुत किये हुए वापिस क्रिये जाये या अनुरोध किया गया। अनुरोध स्वीकार किया जाय है। प्रकृत वापिस क्रिये जाये के कारण समाप्त किया जाता है।</p>	<p><i>(Handwritten notes and signatures on the right side of the table)</i></p>

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)